भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3175
दिनांक 07 अगस्त 2025

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियाँ

3175. **श्री काली चरण सिंहः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल और एनटीपीसी जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अध्यक्ष जैसे शीर्ष पदों के लिए योग्य आंतरिक नेतृत्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चयन प्रक्रिया के दौरान सरकारी उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा कई वरिष्ठ अधिकारियों को 'उपयुक्त नहीं पाया गया' घोषित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसके बाद एचपीसीएल जैसे उपक्रमों में अध्यक्षों की नियुक्तियां निजी क्षेत्र से की गईं;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त अधिकारियों के बीच नेतृत्व, रणनीतिक सोच और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में निरंतर अंतराल के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(ङ) क्या सरकार का वरिष्ठ अधिकारियों के लिए व्यावसायिक विकास, उत्तरवर्तन योजना और वैश्विक प्रशिक्षण हेतु कोई नई नीति शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में अध्यक्ष अथवा कार्यकारी निदेशक के पदों पर नियुक्तियां लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया के आधार पर की जाती हैं। पीईएसबी द्वारा इन मानदंडों के अनुसार कुल 12 उम्मीदवारों की छटनी (शॉर्टलिस्ट) की जाती है, जिनमें आंतरिक उम्मीदवार, क्षेत्रीय उम्मीदवार, बाह्य उम्मीदवार तथा केंद्र सरकार/निजी क्षेत्र/राज्य के पीएसयूज से उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं।

पीईएसबी द्वारा साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर उनकी प्रबंधकीय क्षमताओं, नेतृत्व संबंधी गुणों, व्यापक दृष्टिकोण, ट्रैक रिकॉर्ड तथा समग्र उपयुक्तता पर जोर देते हुए ही नियुक्ति के लिए सिफारिशें की जाती हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ पीईएसबी ने बीपीसीएल, एचपीसीएल और एनटीपीसी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सहित कुछ पदों के लिए कंपनी और उसके भविष्य के कार्यनीतिक महत्व तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की तथा संबंधित मंत्रालय को चयन हेतु आगे की कार्रवाई करने के लिए खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अथवा जो भी उचित हो, का चुनाव करने का सुझाव दिया। तदनुसार, सरकार द्वारा समय-समय पर एससीएससी का गठन किया गया है।

इसके बाद एचपीसीएल के सीएमडी के पद के लिए गठित एससीएससी ने नियुक्ति के लिए निजी क्षेत्र से एक उम्मीदवार की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईज) वाणिज्यिक कंपनियां हैं और सीपीएसईज में बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों को संबंधित सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा उनकी मानव संसाधन नीति के अनुसार निपटाया जाता है। सरकार ने जनवरी, 2019 में सीपीएसईज को 'सीपीएसईज में बोर्ड स्तर से नीचे के प्रबंधन के व्यावसायीकरण' पर पहले ही एक परामर्श पत्र जारी किया है। इस परामर्शिक में, सीपीएसईज को अन्य बातों के साथ-साथ नेतृत्व विकास और उत्तराधिकार नियोजन के लिए प्रयास करने हेतु कहा गया है। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण आयोग के तत्वावधान में पीएसयू अधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

*****